

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या 18727/2023

डॉ. शेख मोहम्मद अफज़ल पुत्र अब्दुल हमीद, आयु लगभग 46 वर्ष, वर्तमान पता: जी-15, मकड़वाली रोड, वशाली नगर, अजमेर, राजस्थान

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, गवर्नमेंट सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, गवर्नमेंट सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
3. अध्यक्ष, डिएम/एम.च./एम.डी./एम.एस./ अन्य अभ्यर्थी आवंटन बोर्ड-2023, आरयूएचएस डेंटल कॉलेज, राजस्थान सरकार, सुभाष नगर, टी.बी. अस्पताल के पीछे, जयपुर, राजस्थान।
4. सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, पॉकेट 14, सेक्टर 8, द्वारका फेज-1, नई दिल्ली-110077।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री असलम खान
प्रतिवादी(ओं) के लिए	:	श्री जी. एस. गिल, एएजी, श्री सूर्य प्रताप सिंह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री अंगद मिर्धा

माननीय श्री. जस्टिस समीर जैन

आदेश

प्रकाशनी

“(डी.बी. एस ए डब्ल्यू /574/2024 इस मामले में दायर की गई है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:39:21 बजे डाउनलोड किया गया)

आरक्षित किया गया दिनांक20/03/2024सुनाया गया दिनांक29/05/2024

1. वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत दायर की गई है, जिसमें निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की गई हैं, जैसा कि नीचे पुनः प्रस्तुत है -

“(क) उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाए कि वे अपनी वैधानिक कानूनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और ‘विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016’, ‘विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, राजस्थान नियम, 2021 (संशोधित)’ तथा 01.12.2021 की परिपत्र/सर्कुलर और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करें।”

ख) उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, राजस्थान नियम, 2021 (संशोधित) के नियम 6ए के अनुसार आयु में छूट प्रदान करें और उसकी योग्यता के अनुसार उपयुक्त श्रेणी में सीनियर रेजिडेंट की सीट आवंटित करें।

ग) उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, प्रतिवादियों द्वारा विकलांग व्यक्तियों को आयु में छूट प्रदान न करने की कार्यवाही को अवैध घोषित किया जाए और उन्हें दिनांक 14.10.2021 की अधिसूचना एवं दिनांक 01.12.2021 के परिपत्र के अनुसार सभी चिन्हित पदों पर आयु में छूट का लाभ विस्तारित करने का निर्देश दिए जाएं।

घ) उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता की आयु में छूट दिए जाने के बाद उसकी उम्मीदवारी पर विचार करें एवं उसे सीनियर रेजिडेंट की सीट आवंटित करें और 01.09.2023 की अधिसूचना के अनुसार राज्य में सेवा करने की अनुमति दें।

“(डी.बी. एस ए डब्ल्यू /574/2024 इस मामले में दायर की गई है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:39:21 बजे डाउनलोड किया गया)

इ) कोई अन्य उपयुक्त आदेश या निर्देश जो माननीय न्यायालय को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत हो, साथ ही याचिका की लागत भी दी जाए।“

2. याचिकाकर्ता के पक्ष के विद्वान अधिवक्ता, श्री असलम खान ने प्रस्तुत किया कि यह निर्विवाद तथ्य है कि याचिकाकर्ता 40% की बेंचमार्क दिव्यांगता वाला व्यक्ति है। वर्तमान में, याचिकाकर्ता चिकित्सा शिक्षा विभाग में सीनियर डेमॉन्स्ट्रेटर के पद पर अपनी सेवाएँ दे रहा है। याचिकाकर्ता को नीट-पीजी 2020 में ओबीसी पीडब्ल्यूडी श्रेणी में एम.डी. पीडियाट्रिक्स की सीट आवंटित की गई थी, जिसके तहत याचिकाकर्ता ने 01.08.2023 को अपनी पीजी डिग्री सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 3 ने राज्य में सीनियर रेजिडेंट के रूप में सेवा हेतु 01.09.2023 को सीटों की अधिसूचना जारी की। पात्र होने के कारण, याचिकाकर्ता ने इसके लिए आवेदन किया सीनियर रेजिडेंट के पद के लिए। इसी के अनुरूप, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के समक्ष राजस्थान विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम 2018 (संशोधित 2021 में) के तहत आयु में छूट प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। सीनियर रेजिडेंट के पद के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी 04.11.2023 की मेरिट सूची में शामिल की गई थी, लेकिन 06.11.2023 को जारी संशोधित मेरिट सूची में उसका नाम इसलिए नहीं पाया गया क्योंकि तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ने निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष पार कर ली है।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी की अस्वीकृति से आहत होकर, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का रुख किया और निम्न प्रकार से तर्क प्रस्तुत किए:

“(डी.बी. एस ए डब्ल्यू /574/2024 इस मामले में दायर की गई है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:39:21 बजे डाउनलोड किया गया)

3.1 याचिकाकर्ता 2018 के नियमों के नियम 6ए के अनुसार आयु में छूट पाने का अधिकारी है। अतः, यदि वह छूट, जिसके लिए याचिकाकर्ता ने विधिवत आवेदन किया था, प्रदान की जाती, तो याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी अस्वीकार नहीं की जाती।

3.2 परिशिष्ट-3, अर्थात् वरिष्ठ रेजिडेंट के पद के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटन हेतु दिशा-निर्देश पुस्तिका, विकलांगता के अधिकार अधिनियम, 2016 (और संबंधित 2018 के नियम) के तहत विशेष रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करती है।

3.3 उदाहरणस्वरूप, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर, परिशिष्ट-4 के अनुसार, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को आयु में छूट प्रदान करता है: पीडब्ल्यू डी-सामान्य उम्मीदवारों को 10 वर्ष, पीडब्ल्यू डी- अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को 13 वर्ष और पीडब्ल्यू डी - एस सी/एस टी उम्मीदवारों को 15 वर्ष तक।

3.4 इसी तरह, संलग्नक-4 के अनुसार, पूरे भारत स्तर पर, कई मेडिकल कॉलेज जैसे डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली, सत्यवाड़ी हरिश चंद्र अस्पताल नई दिल्ली एवं अन्य ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयु में छूट प्रदान की है।

3.5 संलग्नक-7 यानी अधिसूचना दिनांक 14.10.2021, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के निदेशालय द्वारा जारी की गई थी, वह अधिनियम 2016 की धारा 101 के प्रावधानों पर आधारित है, जिसके तहत दिव्यांग

“(डी.बी. एस ए डब्ल्यू /574/2024 इस मामले में दायर की गई है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:39:21 बजे डाउनलोड किया गया)

व्यक्तियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण प्रदान किए गए हैं। साथ ही, नये नियम 6ए के अनुसार, दिव्यांग व्यक्तियों को आयु में अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट दी जाती है, जो कि विभिन्न सेवाओं के नियमों के तहत पहले से दी गई छूट के अतिरिक्त है।

3.6 नया सम्मिलित किया गया नियम 6ए याचिकाकर्ता तथा वरिष्ठ रेजिडेंट के पद के लिए वर्तमान संविदात्मक नियुक्ति पर लागू होता है, जिसके लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी सिर्फ यह कहकर अस्वीकार कर दी गई कि याचिकाकर्ता की आयु अधिक है।

3.7 संलग्नक-8 अर्थात् राज्य सरकार द्वारा 01.12.2021 को जारी परिपत्र, जो 14.10.2021 की परिपत्र के अनुपालन में है, ने भी उपरोक्त पहलू पर विचार किया है और 5 वर्षों तक की आयु में छूट देने का प्रावधान किया है।

4. याचिकाकर्ता के पक्ष में आयु में छूट संबंधी तर्कों के समर्थन में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जैसा कि नेत राम यादव बनाम राज्य राजस्थान, 2022 लाइवलों (एस सी) 684, सिविल अपील संख्या 1567/17 में उल्लिखित सिद्धाराजू बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य, राजीव कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य, जो (2016) 13 एस सी सी 153 में प्रकाशित है तथा सिविल अपील संख्या 529/2023 जिसका शीर्षक है भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य। बनाम ए.के. नायर एवं अन्य।

“(डी.बी. एस ए डब्ल्यू /574/2024 इस मामले में दायर की गई है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:39:21 बजे डाउनलोड किया गया)

5. निष्कर्ष रूप में, यह प्रार्थना की गई कि 2016 के अधिनियम की भावना तथा 2018 के नियमों के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी संबंधित परिपत्रों/सूचनाओं का पूरी तरह पालन करते हुए, याचिकाकर्ता को आयु में छूट दी जाए और परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिका को प्रस्तुत प्रार्थनाओं के अनुसार स्वीकृत किया जाए।

6. इसके विपरीत, प्रतिवादी- एनएमसी के विद्वान अधिवक्ता श्री अंगद मिर्धा ने स्पष्ट रूप से वर्तमान याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की, यह जोर देते हुए कि प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को ओवर-ऐज के आधार पर खारिज करना पूरी तरह से स्थापित कानून के अनुरूप है और इसलिए, इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. उपरोक्त दावे के समर्थन में, अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वरिष्ठ रेजिडेंट पद के लिए जारी विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार 45 वर्ष से अधिक है, तो वह वरिष्ठ रेजिडेंट पद के लिए पात्र नहीं होगा, क्योंकि यह एनएमसी अधिनियम 2019 और 1998 के विनियमों (जिसे वर्ष 2022 में संशोधित किया गया है) के मानदंडों के बाहर होगा, जिसे शिक्षक पात्रता एवं न्यूनतम योग्यता के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा, अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह स्थापित कानून है कि जब 7वीं अनुसूची की सूची-1 के अंतर्गत विशिष्ट कानूनी नियम बनाए गए हैं, तो देश में चिकित्सा शिक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखना आवश्यक है। इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया कि वरिष्ठ रेजिडेंट्स की

“(डी.बी. एस ए डब्ल्यू /574/2024 इस मामले में दायर की गई है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:39:21 बजे डाउनलोड किया गया)

सेवाएँ प्रमुख सरकारी अस्पतालों की रीढ़ हैं, जिसके लिए विधानमंडल ने अपनी सूझबूझ से अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की है और इसलिए, इसमें कोई अपवाद नहीं किया जा सकता। परिणामस्वरूप, 2016 के अधिनियम और 2018 के नियमों के प्रावधान वर्तमान तथ्यात्मक स्थिति में लागू नहीं हो सकते। अंततः, अधिवक्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 का हवाला दिया और प्रस्तुत किया कि वर्तमान तथ्यों के अनुसार, 2019 का एनएमसी अधिनियम लागू होगा, ना कि 2018 के नियम।

8. अंततः, इस याचिका को खारिज कराने की प्रार्थना करते हुए, विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर अपना भरोसा जताया, जैसा कि एमसीआई बनाम कर्नाटक राज्य रिपोर्टेड इन (1998) 6 एस सी सी 131), क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज एवं अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रिपोर्टेड इन (2014) 2 एस सी सी 305), डॉ. प्रीति श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य रिपोर्टेड इन (1999) 7 एस सी सी 120), तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 6 एस सी सी 568), तथा बहारुल इस्लाम एवं अन्य बनाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं अन्य रिपोर्टेड इन 2023 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 79 समेत अन्य निर्णयों में स्पष्ट किया गया है।

9. राज्य के पक्ष के विद्वान अधिवक्ता, श्री जी.एस. गिल (एएजी) ने वास्तव में उपरोक्त तर्कों का समर्थन किया, जिन्हें प्रतिवादी- एनएमसी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

“(डी.बी. एस ए डब्ल्यू /574/2024 इस मामले में दायर की गई है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:39:21 बजे डाउनलोड किया गया)

10. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना और विचार किया गया, उक्त याचिका के अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा बार में उद्धृत निर्णयों का अवलोकन किया गया।

11. उक्त याचिका के अभिलेख का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्थितियाँ और/या तथ्य सामने आए, जो इस न्यायालय के समक्ष विवाद के प्रभावी निर्णय के लिए आवश्यक हैं, अर्थात्:-

11.1 राजस्थान मेडिकल काउंसिल द्वारा याची के पक्ष में जारी अतिरिक्त पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि याची की जन्मतिथि 11.04.1977 है।

11.2 यह भी एक निर्विवाद तथ्य है कि याचिकाकर्ता एक व्यक्ति है जो चिन्हांकित विकलांगता रखता है। अतः, याचिकाकर्ता ने वरिष्ठ रेजिडेंट के पद हेतु ओबीसी-दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत फॉर्म भरा था।

11.3 यह भी एक निर्विवाद तथ्य है कि अनुबंध-3 अर्थात् निर्देश पुस्तिका के अनुसार, राज्य सरकार के सेवा हेतु वरिष्ठ रेजिडेंट/विज्ञापन के पद पर चयन के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित विकलांगता के अनुसार 4% क्षैतिज आरक्षण दिया जाना है, जैसा कि 'द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016' (अर्थात्, अधिनियम 2016) और संबंधित नियम, 2018 में उल्लेखित है।

“(डी.बी. एस ए डब्ल्यू /574/2024 इस मामले में दायर की गई है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:39:21 बजे डाउनलोड किया गया)

11.4 इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त तथ्यों के साथ यह स्वीकार किया गया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर अनुबंध-4 के अनुसार, चिन्हांकित विकलांगता वाले व्यक्तियों को आयु में छूट दी गई है; दिव्यांग-जनरल उम्मीदवारों को 10 वर्षों की छूट, ओबीसी-दिव्यांग उम्मीदवारों को 13 वर्षों की छूट तथा दिव्यांग - एस सी/एस टी उम्मीदवारों को 15 वर्षों की छूट दी गई है। इसी प्रकार, 2016 के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, पूरे भारत स्तर पर कई अन्य चिकित्सा महाविद्यालय जैसे डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, सत्यादी हरीश चन्द्र अस्पताल, नई दिल्ली समेत अन्य ने भी विकलांग व्यक्तियों को आयु छूट प्रदान की है।

11.5 यह कि दिनांक 14.10.2021 की अधिसूचना के अनुसार, अधिनियम 2016 की धारा 101(1) एवं 101(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने राजस्थान गजट में दिनांक 21.10.2021 को संशोधन अधिसूचना जारी की (जिसे अनुबंध-7 के रूप में चिह्नित किया गया है), जिसके तहत पूर्ववर्ती नियम 2018 में नया नियम 6ए जोड़ा गया। त्वरित संदर्भ के लिए, नवनिर्मित नियम 6ए नीचे पुनरुत्पादित किया गया है।:-

“6ए: आयु में छूट: संबंधित सेवा नियमों में सीधे भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को चिन्हांकित विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए, जो नियम 5 के अंतर्गत निर्दिष्ट हैं, 5 वर्ष तक शिथिल किया जाएगा। ऐसी आयु में छूट संबंधित सेवा नियमों में विभिन्न श्रेणियों को पहले से दी गई आयु छूट के अतिरिक्त होगी।”

“(डी.बी. एस ए डब्ल्यू /574/2024 इस मामले में दायर की गई है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:39:21 बजे डाउनलोड किया गया)

11.6 यह कि नियम 6ए का सरसरी तौर पर पठन भी यह स्पष्ट कर देता है कि उक्त नियम सीधे भर्ती के मामलों में चिन्हांकित विकलांगता वाले उम्मीदवारों को 5 वर्षों तक आयु में छूट प्रदान करने का प्रावधान करता है।

11.7 यह कि अनुबंध-8 अर्थात् सर्कुलर, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.12.2021 को अधिसूचना के अनुपालन में जारी किया गया। दिनांक 14.10.2021 की अधिसूचना ने उपर्युक्त पहलू पर भी विचार किया है और सीधी भर्ती के मामलों में चिन्हांकित विकलांगता वाले व्यक्तियों को 5 वर्षों तक की आयु में छूट देने का प्रावधान प्रस्तुत किया है।

11.8 इसके अतिरिक्त, बिना किसी अस्पष्टता के, अधिनियम 2016 की धारा 96 यह प्रावधान करती है कि अधिनियम 2016 के प्रावधान अन्य किसी लागू कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, और उनके अपकर्ष में नहीं होंगे। मूलतः, धारा 96 यह स्पष्ट करती है कि केवल अधिनियम 2016 का अधिनियमन, वर्तमान में लागू अन्य किसी कानूनी प्रावधान की प्रवृत्ति को प्रभावित नहीं करेगा। त्वरित संदर्भ हेतु, धारा 96 को नीचे पुनरुत्पादित किया गया है।

“96. अन्य कानूनों का प्रवर्तन प्रतिबंधित नहीं है।— इस अधिनियम के प्रावधान किसी भी समय लागू अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अपकर्ष में।”

11.9 यह कि अधिनियम 2016 के दायरे में धारा 96 का समावेश इस तथ्य को दर्शाता है कि इसके उद्देश्यों की पूर्ति एवं विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को बेहतर ढंग से

समझने, तथा ऐसे व्यक्तियों को समाज में पूर्ण भागीदारी हेतु सशक्त बनाने के लिए अधिनियम 2016 के तहत मिलने वाले लाभ, जो एक लाभकारी विधायी प्रावधान है, देश में लागू अन्य किसी कानून के प्रावधानों के सहायक एवं/या अतिरिक्त होने चाहिए। फलस्वरूप, धारा 96 यह अत्यंत स्पष्ट कर देती है कि विकलांग व्यक्तियों को मिलने वाले लाभ अन्य लागू कानूनों के अतिरिक्त होंगे और किसी भी स्थिति में उनके अपकर्ष में नहीं।

11.10 यह कि, विज्ञापन/निर्देश पुस्तिका (अनुबंध-3 के रूप में चिह्नित), जिसे प्रतिवादियों द्वारा वरिष्ठ रेजिडेंट के पद पर भर्ती के लिए जारी किया गया है, एवं 1998 की विनियमावली (अनुबंध- आर 1 के रूप में चिह्नित) के साथ पढ़ने पर स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि वरिष्ठ रेजिडेंट के पद पर भर्ती की अवधि अधिकतम 3 वर्ष की होगी, और जो स्नातक इस पद हेतु आवेदन करेगा, उसकी आयु प्रारंभिक नियुक्ति के समय 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।

11.11 यह कि, स्पष्ट रूप से, याची की जन्मतिथि 11.04.1977 है, अतः याची की आयु प्रारंभिक नियुक्ति के समय अर्थात् वर्ष 2023 में 45 वर्ष से अधिक होगी।

12. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, जब यह स्वीकृत तथ्य है कि याची एक चिन्हांकित विकलांगता वाला व्यक्ति है, जो दिव्यांग उम्मीदवारों को दिए गए आरक्षण के लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य है, तब याची के चयन में मात्र एक अड़चन एनएमसी अधिनियम 2019 तथा 1998 की विनियमावली (जैसा कि वर्ष 2022 में संशोधित किया गया है) में उल्लेखित

“(डी.बी. एस ए डब्ल्यू /574/2024 इस मामले में दायर की गई है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:39:21 बजे डाउनलोड किया गया)

है, जो वरिष्ठ रेजिडेंट के पद हेतु भर्ती में आयु की अधिकतम सीमा प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि को 45 वर्ष निर्धारित करती है।

13. अतः, इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि वरिष्ठ रेजिडेंट के पद पर नियुक्ति के लिए याची के अभ्यर्थन को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार विज्ञापन (अनुबंध-3), एनएमसी अधिनियम 2019 एवं 1998 की विनियमावली में उल्लिखित शर्तों के अनुसार याची की आयु अधिक होना था, यह न्यायालय उचित समझता है कि इस न्यायालय के समक्ष विवाद के समाधान हेतु निम्नलिखित विधिक प्रश्न को प्रस्तुत करना उपयुक्त प्रतीत होता है, जिसका निवारण इस न्यायालय के समक्ष विवाद को समाप्त कर देगा:

“क्या अधिनियम 2016 के प्रावधान, एनएमसी अधिनियम 2019 के तहत बनाई गई विनियमावलियों (जिसे मेडिकल संस्थानों में शिक्षकों की पात्रता विनियमावली, 1998 के नाम से जाना जाता है) के अतिरिक्त उम्मीदवारों पर लागू होंगे या बाद वाली विनियमावलियाँ पूर्ववर्ती के अलग थलग रूप में लागू होंगी?”

14. इस चरण पर, यह न्यायालय यह उल्लेखित करना उपयुक्त समझता है कि वर्ष 2007 में भारत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संधि का अनुमोदन किया था। इस संधि में हस्ताक्षरकर्ता देशों के लिए विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण हेतु कुछ सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य किया गया था। इसमें हस्ताक्षरकर्ता देशों को विधि और नीति में उपयुक्त परिवर्तन करना आवश्यक था ताकि संधि के सिद्धांतों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में, अधिनियम 2016 को इस मूल उद्देश्य/लक्ष्य

“(डी.बी. एस ए डब्ल्यू /574/2024 इस मामले में दायर की गई है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:39:21 बजे डाउनलोड किया गया)

के साथ अधिसूचित किया गया कि भिन्नता का सम्मान करते हुए और विकलांग व्यक्तियों को मानव विविधता और मानवता के हिस्से के रूप में स्वीकार करते हुए, उन्हें समाज के सभी सार्वजनिक क्षेत्रों में समान अवसर दिए जाएं।

15. इसलिए, यह कहना आवश्यक है कि अधिनियम 2016 एक लाभकारी विधायी कृति है, जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं गैर-भेदभाव, सहभागिता, अवसर की समानता और समाज में दिव्यांग व्यक्तियों का समावेश। उपरोक्त उल्लेखित विशेषताओं को विधिक समर्थन देने के लिए, अधिनियम 2016 की धारा 2(ह) और 2(र) ने 'भेदभाव' और 'मानदंड दिव्यांगता वाले व्यक्तियों' को परिभाषित किया है। इसके अतिरिक्त, सम्मानजनक विचार-विमर्श, समाज में सहभागिता तथा अवसर की समानता और स्वीकृति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, धारा 34 ने प्रावधान किए हैं। जिस 'आरक्षण' को उपयुक्त सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना है।

16. अनुसार, दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, यह उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ रेजिडेंट के पद पर भर्ती के लिए जारी विषयगत विज्ञापन अर्थात् अनुबंध-3 में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 4% तक आरक्षण का विधिवत प्रावधान किया गया है, जो अधिनियम 2016 और उसके अनुरूप 2018 के नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में है। अतः, एक बार अधिनियम 2016 और संबंधित नियम 2018 के अनुसार वरिष्ठ रेजिडेंट के पद की भर्ती के लिए आरक्षण प्रदान कर दिया जाता है, तो उक्त अधिनियम और नियमों के प्रावधानों को पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए, और आयु में छूट के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाया

“(डी.बी. एस ए डब्ल्यू /574/2024 इस मामले में दायर की गई है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:39:21 बजे डाउनलोड किया गया)

जाना चाहिए, जैसा कि पहले ही 2018 के नियमों में नये जोड़े गए नियम 6ए द्वारा प्रदान किया गया है।

17. यह भी उल्लेखनीय है कि अधिनियम 2016 की धारा 101(1) और 101(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने 2018 के नियमों को अधिसूचित किया, जिन्हें अधिसूचना दिनांक 14.10.2021 (अनुबंध-7) के माध्यम से संशोधित किया गया, ताकि इसमें हाल ही में जोड़ा गया नियम 6ए शामिल किया जा सके। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यक्ष भर्ती के मामलों में उक्त नियम उन उम्मीदवारों के लिए पांच वर्ष तक की आयु में छूट प्रदान करेगा, जिनके पास मानदंड दिव्यांगता है।

18. अतः, वर्तमान स्थिति में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वरिष्ठ रेजिडेंट के पद पर भर्ती संबंधी संबंधित विज्ञापन/निर्देश पुस्तिका (अनुबंध-3) के खंड 4 के माध्यम से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो नियमों के अनुपालन में है। अधिनियम 2016 और उसके अनुरूप 2018 के नियमों के अनुसार, यदि उसी भर्ती प्रक्रिया के लिए ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो 2018 के नियमों में हाल ही में जोड़ा गया नियम 6ए भी प्रासंगिक हो जाएगा, जो मानदंड दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को पांच वर्ष की आयु में छूट प्रदान करता है।

19. परिणामस्वरूप, प्रतिवादीगण एक ही भर्ती प्रक्रिया के लिए 2018 के नियमों के प्रावधानों की लागू करने की प्रक्रिया में चयन नहीं कर सकते; अर्थात् वे इन नियमों के

“(डी.बी. एस ए डब्ल्यू /574/2024 इस मामले में दायर की गई है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:39:21 बजे डाउनलोड किया गया)

किसी प्रावधान को चुन या छोड़ नहीं सकते। एक तरफ जहां ये नियम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे नियम 6ए के तहत आयु में छूट देने से इनकार नहीं कर सकते, विशेष रूप से उस स्थिति में जब यह स्वीकृत है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर ने अनुबंध-4 के माध्यम से मानदंड दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को सामान्य वर्ग के लिए 10 वर्ष, ओबीसी के लिए 13 वर्ष, और एससी/एसटी के लिए 15 वर्ष तक की आयु में छूट प्रदान की है। इसके अलावा, इसी प्रकार अधिनियम 2016 के आदेश का पालन करते हुए भारत भर के अन्य कई मेडिकल कॉलेज, जैसे डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली, सत्यवादी हरिश चंद्र अस्पताल नई दिल्ली व अन्य, ने भी दिव्यांग व्यक्तियों को आयु में छूट प्रदान की है।

20. यह न्यायालय, जब अधिनियम 2016 और उसके अनुरूप 2018 के नियमों जैसे लाभकारी विधायी कृत्य की व्याख्या के कार्य से सामना करता है, तो उसे इस विचार को रेखांकित करना चाहिए कि दिव्यांग व्यक्तियों के मध्य सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए, उक्त श्रेणियों के उम्मीदवारों को आनुपातिक रूप से समान अवसर दिए जाने चाहिए, ताकि उनके लिए समतल मंच प्रस्तुत किया जा सके और भविष्य में समाज में उनकी स्वीकृति के लिए उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। अधिनियम 2016 की 2018 के नियमों के साथ, विशेष रूप से हाल में जोड़े गए नियम 6ए की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक भर्ती में अधिक भागीदारी को सहज बनाएगी, जिससे

“(डी.बी. एस ए डब्ल्यू /574/2024 इस मामले में दायर की गई है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:39:21 बजे डाउनलोड किया गया)

अनजाने में उनके समकक्षों के साथ भेदभाव नहीं होगा, और यह अवसर की समानता तथा समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के समावेश का परिणाम देगा।

21. यहां दर्ज उपरोक्त टिप्पणियों के समर्थन में, यह न्यायालय उपयुक्त मानता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित ए.के. नायर के उक्ति पर भरोसा किया जाए। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार उल्लेखित है:

“44. उपरोक्त प्रश्नों के हमारे उत्तर भूमि के सर्वोच्च कानून के संक्षिप्त संदर्भ के साथ आरंभ किए जाने चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में निहित संकल्प और इसके भाग-IV में दिए गए प्रावधान इसके लिए प्रासंगिक माने जाते हैं। हमारी प्रस्तावना का वादा ‘सामाजिक न्याय’ को सभी के लिए सुरक्षित करना है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, यद्यपि बाध्यकारी नहीं हैं, अनुच्छेद 37 में ‘देश के शासन का मौलिक तत्व’ घोषित किए गए हैं और राज्य का कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाते समय लागू करे। तत्संबंधी अगला अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करे, तथा यथासंभव प्रभावी ढंग से, ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित करे जिसमें न्याय - सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक - राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करे और स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करे। अनुच्छेद 41 राज्य को इस बात की आवश्यकता देता है कि अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के भीतर, वह, विशेष रूप से, दिव्यांगता के मामलों में कार्य के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान बनाए। जिस

“(डी.बी. एस ए डब्ल्यू /574/2024 इस मामले में दायर की गई है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:39:21 बजे डाउनलोड किया गया)

समाज में हम रहते हैं, जो वास्तव में वर्ग-विग्रहीत है, 'सामाजिक न्याय'का अर्थ समाज के कमजोर और गरीब वर्गों के लिए न्याय होना चाहिए, विशेष रूप से जब राष्ट्र के लोग संविधान की प्रस्तावना में 'स्थिति और अवसर की समानता' को सुरक्षित करने का संकल्प है। निहित विचार यह है कि न्याय को कमजोर और गरीब वर्ग के लिए सुरक्षित किया जाए ताकि वे समाज के बाकी लोगों के बराबर हो सकें। ऐसे मामले में जब कमजोर वर्ग शक्तिशाली वर्ग के साथ संघर्ष में शामिल हो, और संतुलन सामाजिक न्याय की चुनौती को उठाने के लिए बदलने लगे, तो न्यायालयों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए कमजोर वर्ग के पक्ष में झुकना चाहिए। यदि दिव्यांग व्यक्तियों को कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित किया जाता है, जिसमें समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में पूर्ण भागीदारी शामिल है, तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति यह गंभीर अन्याय होगा, जिससे संवैधानिक आदर्शवाद और मानव अधिकारों का सम्मान खत्म हो जाएगा, तथा वंचितों को अत्यधिक मानसिक वेदना और दर्द का अनुभव होगा। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, तब न्यायालयों को मौन और निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। कोई भी न्यायालय, और विशेषकर यह न्यायालय, नियोक्ताओं/संस्थाओं द्वारा किए गए उल्लंघन और अवैध कार्यों को अनदेखा और स्वीकार नहीं करना चाहिए।

22. राजीव कुमार गुप्ता (उपर्युक्त) मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिव्यक्त किया:

“(डी.बी. एस ए डब्ल्यू /574/2024 इस मामले में दायर की गई है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:39:21 बजे डाउनलोड किया गया)

“21. इन्द्रा साहनी में प्रतिपादित सिद्धांत केवल तब लागू होता है जब राज्य नागरिकों के कुछ वर्गों को, जिन्हें पिछड़ा वर्ग माना गया है, रोजगार के मामले में अधिमान्य व्यवहार देना चाहता है। अनुच्छेद 16(4) राज्य को अन्य वर्गों के नागरिकों को कानून के तहत भिन्न व्यवहार (आरक्षण) प्रदान करने से प्रतिबंधित नहीं करता है, यदि वे अनुच्छेद 16(1) के तहत ऐसे व्यवहार के योग्य हैं। हालांकि, कानून के तहत ऐसी अधिमान्यता बनाते समय, राज्य जाति, धर्म आदि जैसे किसी भी कारक को आधार बना कर चयन नहीं कर सकता है जो अनुच्छेद 16(1) में वर्णित हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण प्रदान करने का आधार शारीरिक दिव्यांगता है, न कि अनुच्छेद 16(1) में प्रतिबंधित किसी भी मापदंड का। अतः, इन्द्रा साहनी में पदोन्नति में आरक्षण न देने का नियम बिल्कुल स्पष्ट रूप से और विधिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है।”

23. इसी प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नेट राम यादव (उपर्युक्त) मामले में निम्नलिखित रूप में निर्णय दिया:

“31. शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के सामने आने वाली बाधाओं/असुविधाओं में से एक उनकी स्वतंत्र और सरलता से आवाजाही करने की अक्षमता है। दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों के मद्देनज़र, राज्य ने उक्त अधिसूचना/परिपत्र दिनांक 20 जुलाई 2000 जारी किया है, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी पसंद के स्थान पर, जहां तक संभव हो, नियुक्त किया जा सके। इस लाभ का उद्देश्य शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति को उस स्थान पर नियुक्त करना है, जहां आवश्यक सहायता आसानी से मिल सके। निवास से दूरी एक प्रासंगिक विचार हो सकता है ताकि लंबे सफर करने से बचा जा सके। जो लाभ दिव्यांगों को परिपत्र/सरकारी आदेश के माध्यम से दिया गया है, उसे

“(डी.बी. एस ए डब्ल्यू /574/2024 इस मामले में दायर की गई है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:39:21 बजे डाउनलोड किया गया)

ऐसी शर्तों और परिस्थितियों में उस लाभ को प्राप्त करने के अधिकार के अभ्यास को बाधित करके वापस नहीं लिया जा सकता, जिससे वह लाभ निष्प्रभावी हो जाए।”

24. अनुसार, प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत तर्क और तत्संबंधी उद्धृत निर्णय वर्तमान याचिका की वर्णित तथ्यात्मक स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकते, निम्नलिखित कारणों से:

24.1 अधिनियम 2016 की धारा 96 यह प्रावधान करती है कि अधिनियम 2016 के प्रावधान अन्य किसी विधि के प्रावधानों के साथ-साथ लागू होंगे और समय-समय पर प्रचलित किसी अन्य विधि के प्रावधानों को कमजोर नहीं करेंगे। इसी प्रकार, अधिनियम 2016 की धारा 101 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बनाए गए 2018 के संबंधित नियम भी अन्य किसी लागू विधि के प्रावधानों के साथ-साथ प्रभावी रहेंगे।

24.2 अधिनियम 2016 एक लाभकारी विधान है और इसलिए, इसके प्रावधानों को उनके उद्दिष्ट प्रभाव देने हेतु, 2018 के नियमों में आयु में छूट देने वाला नियम 6ए लागू किया जाना चाहिए। इस विचार को रेखांकित करने के लिए अनुपालन आवश्यक है कि दिव्यांग व्यक्तियों के बीच सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु, उक्त श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को आनुपातिक रूप से समान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि उनके लिए समतल मंच प्रस्तुत किया जा सके और उन्हें समाज में आगे स्वीकार्यता के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।

“(डी.बी. एस ए डब्ल्यू /574/2024 इस मामले में दायर की गई है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:39:21 बजे डाउनलोड किया गया)

24.3 अतः, 1998 की विनियमों/एनएमसी अधिनियम 2019 के वे प्रावधान, जो अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित करते हैं, उन्हें 2018 के नियमों की नियम 6ए के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो 5 वर्षों तक की आयु में छूट प्रदान करते हैं।

24.4 2018 के लागू नियमों में नियम 6ए को शामिल करने का उद्देश्य मानदंड दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को समतल मंच प्रदान करना है, जिसमें संबंधित विधानों द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को घटाकर, ऐसे उम्मीदवारों को अध्ययन और व्यवहार के व्यावसायिक क्षेत्रों में अधिक समावेश और स्वीकार्यता मिल सके जो कभी उनकी सेवाओं से वंचित रहते थे। अतः, जो लाभ नियम 6ए और अनुबंध-8 अर्थात् 01.12.2021 की राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के माध्यम से मानदंड दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को दिया गया है, वह उन उम्मीदवारों से नहीं छीना जा सकता, यदि उक्त नियम और/या परिपत्र को 1998 के विनियमों की ऐसी शर्तों के अधीन रखा जाए, जिससे उस लाभ का उद्देश्य ही निष्प्रभावी हो जाए।

24.5 प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क, कि विज्ञापित पद वरिष्ठ रेजिडेंट राज्य सरकार की चिकित्सा सेवाओं की रीढ़ का हिस्सा है इसलिए याचिकाकर्ता को आयु में छूट नहीं दी जा सकती, स्वीकार नहीं किया जा सकता। कम से कम कहने पर भी यह तर्क असंगत है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि राज्य सरकार ने स्वयं भी वरिष्ठ चिकित्सा प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से 70 वर्ष तक बढ़ाए जाने योग्य बना दिया है।

“(डी.बी. एस ए डब्ल्यू /574/2024 इस मामले में दायर की गई है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:39:21 बजे डाउनलोड किया गया)

24.6 अतः, उपर्युक्त टिप्पणियों के समग्र दृष्टिकोण में, यह न्यायालय विधि के प्रश्न का उत्तर देना उपयुक्त मानता है, जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है, यह घोषित करते हुए कि अधिनियम 2016 और उसके अनुरूप 2018 के नियमों के प्रावधान मानदंड दिव्यांगता वाले व्यक्तियों पर लागू होंगे, साथ ही 2019 के एनएमसी अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अतिरिक्त, जिनका नाम चिकित्सकीय संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 1998 है, ताकि 2018 के नियमों के हाल ही में जोड़े गए नियम 6ए और अनुबंध-8 अर्थात् राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01.12.2021 के आशयित लाभ को प्राप्त किया जा सके, जो प्रत्यक्ष भर्ती के मामलों में मानदंड दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को आयु में छूट प्रदान करने का प्रावधान करते हैं।

25. परिणामस्वरूप, 1998 के विनियमों को पृथक रूप से संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसी संचालन की स्वाभाविक परिणति अधिनियम 2016 और उसके अनुरूप 2018 के नियमों के अंतर्गत वर्णित लाभों को निष्प्रभावी बना देगी।

26. निष्कर्ष रूप में, यह उल्लेखनीय है कि रोजगार दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और समावेशन का एक महत्वपूर्ण कारक है। यह वर्तमान समय का एक भयावह तथ्य है कि दिव्यांग व्यक्ति रोजगार से वंचित हैं, इसका कारण उनकी दिव्यांगता नहीं है, बल्कि उनके कार्य करने के मार्ग में समाज द्वारा उत्पन्न सामाजिक और व्यावहारिक बाधाएँ ही उन्हें रोकती हैं। ये बाधाएँ उन्हें पूरी तरह से श्रमिक वर्ग में शामिल होने से रोकती हैं। परिणामस्वरूप, कई दिव्यांग व्यक्ति, जो बिना उक्त दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की तरह ही

“(डी.बी. एस ए डब्ल्यू /574/2024 इस मामले में दायर की गई है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:39:21 बजे डाउनलोड किया गया)

सक्षम हैं, अपने जीवन, परिवारों और समुदाय के लिए उपयोगी योगदान देने के अधिकार से वंचित होने के कारण निर्धनता में रहते हैं। अतः, ऐसे समय में, जब समाज में लाभकारी विधायिकायें लागू की जाती हैं और देश की प्रमुख संस्थाओं की प्रैक्टिस द्वारा उनका समर्थन भी होता है, तो उन्हें विधिपूर्वक सम्मानित किया जाना चाहिए, ताकि उनके उद्दिष्ट लाभ प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न न करें।

27. उपर्युक्त के समग्र दृष्टिकोण में, प्रस्तुत याचिका, प्रस्तुत प्रार्थनाओं की शर्तों के अनुसार, स्वीकृत की जाती है।

28. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता, जिसका जन्म 11.04.1977 को हुआ था, को वरिष्ठ रेजिडेंट के पद पर प्रत्यक्ष भर्ती के लिए 5 वर्ष की आयु छूट का लाभ दिया जाता है, जैसा कि अनुबंध-3 में विज्ञापित किया गया था, जिससे वह उक्त पद पर प्रत्यक्ष भर्ती के लिए पात्र हो जाता है।

29. यह न्यायालय यह भी नोट करता है कि विज्ञापित पद वरिष्ठ रेजिडेंट की अवधि पहले ही शुरू हो चुकी है, जो केवल 3 वर्ष की सीमित अवधि के लिए है। अतः, यह न्यायालय उचित मानता है कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से उसके पद पर शामिल होने की अनुमति दी जाए। साथ ही, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और अधिनियम 2016 की धारा 89 के अंतर्गत इस न्यायालय के अंतर्निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, न्यायालय उचित मानता है कि प्रतिवादी-

“(डी.बी. एस ए डब्ल्यू /574/2024 इस मामले में दायर की गई है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

(30/05/2025 को दोपहर 12:39:21 बजे डाउनलोड किया गया)

एनएमसी और प्रतिवादी-राज्य दोनों पर कुल 1 लाख रुपये का लागत समान रूप से बाँटी जाए, जो याचिकाकर्ता को हुई देरी और कठिनाई के लिए लगाई जाए। मेधावी अभ्यर्थी, जिसे निराधार, बिना योग्यता वाले और प्रतिकूल बाधाओं के कारण अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है

(समीर जैन), जे

पूजा / नीरू

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate